झारखण्ड सरकार

# विधि विभाग

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

## विषय–सूची


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम–12, 2017) की धारा 16, 29, 34, 37, 39, 47, 48, 49, 50, 52 एवं 54 में संशोधन।

3. धारा– 38 एवं 41 का प्रतिस्थापन।

4. धारा–42, 43 एवं 43A का विलोपन।

5. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन निर्गत अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन।

6. धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन निर्गत अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन।

7. कतिपय मामलों में राज्य कर के उदग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी प्रभाव से छूट।

8. धारा 7 की उपधारा (2) अधीन निर्गत अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से प्रभावित करना।

# झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम 12, 2017) में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड के राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

1. **संक्षिप्त नाम एंव प्रारम्भ-** (1) यह अधिनियम झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) अन्यथा उपबंधित के सिवाय,इस अधिनियम की धारा 12 और 13 को 5 जुलाई, 2022 से प्रभावी माना जाएगा।

परन्तु इस अधिनियम के अन्य प्रावधान उस तारिख को प्रवृत होंगे,जो झारखण्ड सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **धारा 16 का संशोधन**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 में,–

(क) उपधारा (2) में,–

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों ;" ;

(ii) खंड (ग) में, "या धारा 43क" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) में, "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की अंतिम तारीख" शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर" शब्द रखे जाएंगे।

3. **धारा 29 का संशोधन**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में,–

(क) खंड (ख) में, "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी" शब्दों के स्थान पर, "उक्त

विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) में, "लगातार छह मास की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी लगातार कर अवधियों, जो विहित की जाएं, के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

**4. धारा 34 का संशोधन**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, "सितंबर मास" शब्द के स्थान पर, "30 नवंबर" शब्द रखे जाएंगे।

**5. धारा 37 का संशोधन**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 37 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(i) "इलैक्ट्रानिक रूप में" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए इलैक्ट्रानिक रूप में और" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "उक्त पूर्तियों के प्रासिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए और ऐसे समय के भीतर उक्त पूर्तियों के प्रासिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएं" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(iv) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु" शब्द रखा जाएगा ;

(v) तीसरे परंतुक में, "परंतु यह और भी कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (3) में,–

(i) "जो धारा **42** या धारा **43** के अधीन सुमेलित नहीं हो सके हैं," शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) पहले परंतुक में, "सितंबर मास के लिए धारा **39** के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्," शब्दों के स्थान पर, "**30** नवंबर के लिए धारा **39** के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्," शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर

अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।"

**6. धारा 38 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

**"38. आवक पूर्तियों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना-**

**(1)** धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसे अन्य पूर्तियों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वत: जनित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसे पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलैक्ट्रानिक ढंग से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वत: जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :–

(क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके: और

(ख) पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,-

(i) रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ; या

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है ; या

(iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से अधिक है ; या

(iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से खंड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए ; या

(v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है ; या

(vi) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं ।" ।

**7. धारा 39 का संशोधन**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में,–

(क) उपधारा (5) में, "बीस" शब्द के स्थान पर, "तेरह" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (7) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा,अर्थात् :–

"परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,–

(क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं,अवधारित रकम,का संदाय करेगा ।" ;

(ग) उपधारा (9) में,–

(i) "धारा **37** और धारा **38** के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "जहां" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) परंतुक में, "सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" शब्दों के स्थान पर, "**30** नवंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (10) में, "विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है ।" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हों ।" ।

**8. धारा 41 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"41. इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग-

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अपनी विवरणी में स्व:निर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ आरक्षित रहेगा :

परंतु जहां ऐसा पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्ति की बाबत संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा यथा पूर्वोक्त आरक्षित जमा की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुन: प्राप्त कर सकेगा।" ।

9. धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप किया जाएगा।

10. धारा 47 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में,–

(क) "या आवक" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "या धारा 38" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ग) "धारा 39 या धारा 45" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 52" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

11. धारा 48 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, ", धारा 38 के अधीन आवक पूर्तियों के ब्यौरे" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

12. धारा 49 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 में,–

(क) उपधारा (2) में, "या धारा 43क" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) में, "ऐसी शर्तों" शब्दों के पश्चात्, "और निर्बंधनों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, इलैक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा।" ।

**13. धारा 50 का संशोधन**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, **2017** से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :–

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी ।" ।

**14. धारा 52 का संशोधन**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में, "आने वाले सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख" शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

**15. धारा 54 का संशोधन**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में,–

(क) उपधारा (1) के परंतुक में, "धारा **39** के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (10) में, "उपधारा **(3)** के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(घ) स्पष्टीकरण के खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं की बाबत संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों की बाबत धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख ;"

**16. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन**

(1) झारखण्ड सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, **2017** की धारा 20 के साथ पठित झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, **2017** की धारा 146 के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर जारी झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की एस. ओ. सं. 15, तारिख 20 फरवरी, 2018, में संशोधन किए जाएंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, पांचवी अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :--

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए झारखण्ड सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानो कि झारखण्ड सरकार को, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, **2017** की धारा 20 के साथ पठित झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, **2017** की धारा 146 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी ।

**17. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन**

(1) झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, **2017** की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर जारी झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की एस. ओ. सं. **49**, तारीख 29 जून, **2017** में संशोधन किए जाएंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, अनुसूची छठी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए झारखण्ड सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, मानो झारखण्ड सरकार को झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, **2017** की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी ।

**18.कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट**

झारखण्ड सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, **2017** की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की एस. ओ. सं. **31**, तारीख 29 जून, **2017** में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के, सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की पूर्ति के संबंध में, **1** जुलाई, **2017** से प्रारंभ होकर, 30 सितंबर, **2019** (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त होती।

**19.झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव**

उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की एस. ओ. सं. **93**, तारीख 1 नवंबर, **2019**, झारखण्ड सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, जो झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, **2017** की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई थी, 1 जुलाई, **2017** से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

(2) ऐसे सभी राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त होती।

# उदेश्य एवं हेतु

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों को राज्य में क्रियान्वित करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा– 16, 29, 34, 37, 39, 47, 48, 49, 50, 52 एवं 54 में संशोधन, धारा 38 एवं 41 का प्रतिस्थापन तथा धारा 43, 43 एवं 43A के विलोपन की आवश्यकता है ताकि उक्त अधिनियम के तत्संबंधी धाराओं में अनुभूत व्यवहारिक कठिनाईयों एवं प्रशासनिक उदेश्यों की पूर्ति हो सके।

एतदर्थ झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 के माध्यम से झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(रामेश्वर उरॉव)
भार साधक सदस्य

# वित्तीय संलेख

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों को राज्य में कियान्वित करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा– 16, 29, 34, 37, 39, 47, 48, 49, 50, 52 एवं 54 में संशोधन, धारा 38 एवं 41 का प्रतिस्थापन तथा धारा 43, 43 एवं 43A के विलोपन की आवश्यकता है। उक्त संशोधनों से राज्य के आंतरिक संसाधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, कतिपय संशोधनों से राज्य के व्यवसायियों को सहूलियत होगी।

प्रस्तावित **झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022** पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(रामेश्वर उरॉव)
भार साधक सदस्य